न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस

वाद संख्या : 22/2023

निर्णय दिनांक : 29.12.2023

लछमा देवी

बनाम

राज0 सरकार वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0

निर्णय

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादिया ने ग्राम खेतापुरा, तहसील सांगानेर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62 के सम्बन्ध में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। वादिया ने उक्त प्रकरण में मांग्या पुत्र हेमा द्वारा वादिया के हक पूर्वाधिकारी कल्याण पुत्र हेमा के हक में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 14.07.1987 के आधार पर प्रस्तुत किया है जबकि तथाकथित विक्रय पत्र फर्जी बनावटी व कूटरचित है एवं मांग्या द्वारा कभी भी विक्रय पत्र नही करवाया गया है। कल्याण पुत्र हेमा व कल्याण के पुत्र, वादिनी क पति रामेश्वर, पुत्र दीपक द्वारा अपने जीवनकाल में तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की। वादिनी ने अपने वाद पत्र में स्वर्गीय कल्याण के अन्य वारिसान होने के तथ्य अंकित किये है लेकिन उनकी ओर से उक्त वाद प्रस्तुत नही किया गया है। वादिनी ने तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 14.07.1987 के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया है लेकिन वादिनी व उसके पूर्वजों का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा है एवं वादिनी ने धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 12 साल की अवधि में एवं 12 साल की अवधि के पश्चात् बेदखली बाबत् उक्त वाद प्रस्तुत नही किया है जिससे वादिनी का उक्त घोषणा का वाद बिना बेदखली के वाद बिना पोषनीय नही है एवं विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है। वादिनी ने कब्जा प्राप्ति बाबत् कोई वाद प्रस्तुत नही किया है एवं तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 14.07.1987 से कब्जा प्राप्ति की अवधि समाप्त हो गयी है जिससे कानूनन घोषणा का वाद पोषनीय नही है। धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की उपधारा 2 के अनुसार वादिनी का कब्जा प्राप्ति का अनुतोष नही है तो कानूनन पारिणामिक अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। वादिनी ने उक्त वाद में यह तथ्य कही भी अंकित नही किये है वादिनी व उसके पूर्वजों ने पूर्व में कार्यवाही क्यों नही की, बल्कि उक्त वादग्रस्त भूमि में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण नामान्तरकरण नही खोलने तथा भू–प्रबन्ध कार्यवाही में भी मांग्या के नाम से ही उक्त भूमि दर्ज [illegible] अंकित किये है जिससे भी यह साबित है कि वादिनी व उसके पूर्वजों [illegible] तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर पूर्व में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की [illegible] सम्पूर्ण जानकारी पूर्व से ही रही है, वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद मियाद बाहर है। वादिनी का उक्त वाद किस प्रकार कौनसे प्रावधानों के अन्तर्गत अन्दर मियाद है इस सम्बन्ध में वादिनी ने वाद पत्र में कोई तथ्य अंकित नही किये है। वादिनी ने प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:55:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

एक दावा दायरी से पूर्व दी का धारा 80 जा०दी० का सूचना पत्र भी नही दिया है, इस सम्बन्ध में वाद पत्र में कोई मद व तथ्य अंकित नही किये है जो कि आदेशात्मक प्रावधान है लेकिन वादिनी ने आदेशात्मक प्रावधानों की अवहेलना कर उक्त वाद प्रस्तुत किया है जिससे वादिनी का उक्त वाद नोटिस के अभाव में खारिज होने योग्य है। वादिनी ने वाद पत्र में तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 14.07.1987 के आधार पर नामान्तरकरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा है जबकि कानूनन उक्त वाद के माध्यम से नामान्तरकरण का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 13 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 13 उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहे है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादिनी का वाद खारिज किया जावे। वादिया अधिवक्ता ने ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि कल्याण पुत्र हेमा के हक में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 14.07.1987 फर्जी, बनावटी व कूटरचित नही है। उक्त दस्तावेज उप पंजीयक महोदय के यहां पंजीबद्ध दस्तावेज है। उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांकित 14.07.1987 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि बेची गई भूमि का कब्जा विक्रेता मांग्या ने क्रेता कल्याण को मौके पर संभला दिया है तथा मौके पर कल्याण अपने जीवनोपर्यन्त काबिज काश्त रहा है, उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान ही काबिज काश्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार विक्रय पत्र का निष्पादन एवं पंजीयन होने के साथ ही विक्रेता मांग्या के खातेदारी अधिकारो का अवसायन हो चुका है। वादिनी के हकपूर्वाधिकारी कल्याण द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने के लिए तत्समय ही इसकी प्रति राजस्व कर्मचारियों यथा पटवारी हल्का का दे दी थी किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतते हुए दस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 इके तहत प्रस्तुत दावें में परिसीमा या मयाद लागू नही होते है, वादिनी का वाद विधि द्वारा बाधित नही है, इसलिए प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से न्यायिक दृष्टान्त आर० आर० डी० 1990 पेज 425, आर0 आर0 डी0 1982 पेज 426, सी० सी० सी० 2007 (4) एस० सी० पेज 731, आर0 आर0 डी0 2005 पेज 391, डब्ल्यू०. एल०सी० 2007 (1) एस० सी० पेज 409, सी० सी० सी० 2021 (3) उत्तराखण्ड पेज 356, सी० सी० सी० 2007 (3) उत्तरांचल पेज 456, डब्ल्यू० एल० सी० 2008 (3) राजस्थान पेज 534, डी0 एन0 जे0 2017 (1) राजस्थान पेज–1, सी० सी० सी० 2018 (3) एस० सी0 पेज 592, धारा 63, 88 व धारा 183 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की प्रति पेश की।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया व पत्रावली मे दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण 2 लगायत 13 की खातेदारी में अंकित है, घोषणा के वाद के लिए वादग्रस्त भूमि पर कब्जे का होना आवश्यक है वादिनी द्वारा उक्त वादग्रस्त [illegible] कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया, [illegible] से कोई अनुतोष की मांग की है, वादिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के जवाब में [illegible] किया है कि वादिनी द्वारा कब्जे सम्बन्धी कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वादिनी का यह कथन रहा कि वादग्रस्त भूमि नामान्तरकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु तत्समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा विक्रय पत्र का नामान्तरकरण कल्याण पुत्र हेमा के पक्ष में तस्दीक नही किया गया इस सन्दर्भ में वादिनी ने कोई दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahip
Date: 2024.02.02 10:55:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रस्तुत नही किया है. इससे यह स्पष्ट है कि कल्याण पुत्र हेमा द्वारा अपने जीवनकाल में नामान्तरकरण तस्दीक करवाने के लिए कोई कार्यवाही नही है। वादिनी द्वारा यह कथन रहा है कल्याण पुत्र हेमा के पुत्र रामेश्वर की पत्नी बतलाते हुए वाद प्रस्तुत किया है इस सम्बन्ध मे वादिनी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे कल्याण पुत्र हेमा के पुत्र रामेश्वर की पत्नी होना साबित होता हो, कल्याण पुत्र हेमा के वारिसान कौन कौन है यह कही स्पष्ट नही है. वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद जहा तक यह स्पष्ट नही हो जाता तब तक वादग्रस्त भूमि मे हक व अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र मे दिनाक 05.01.2023 को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 13 द्वारा दी गई बेदखल करने की धमकी को वाद कारण अंकित करते हुए वाद मे अनुतोष चाहा गया है. वादिनी द्वारा दिनाक 05.01.2023 को वाद कारण उत्पन्न हुआ हो इस सम्बन्ध में कोई तर्क प्रस्तुत नही किया है. इसलिए वादिनी का वाद विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है. ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रतिवादी संख्या 10 व 12 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादिनी का वाद बाबत् ग्राम खेतापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62 को खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय) (सांगानेर)
जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:55:28 IST
Reason: SelfAttested